न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 189 सन 2022
अनवान :–

1. बन्तो बाई पुत्री सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्यारो देवी पत्नी सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. कर्मजीतकोर पुत्री सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. गुरूतेज पुत्र सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. गोराराम पुत्र सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. सीमाबाई पुत्री सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बेनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/6/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा 19 जेएसएन के खाता संख्या 52 की कुल 2.5300हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 51 की कुल 5.4890हैक भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है वह वादीया के पिता सिकन्दर पुत्र बरयामसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से दर्ज हुई है जो वर्तमान में वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसमें वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बहिब का हक हिस्सा है।

वाद भूमि जो वर्तमान में वादीया की माता के नाम से दर्ज है वादीया की शादी के समय प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने परिवारिक समझौता के अनुसार वादीया को भरण पोषण के लिये दी गई थी जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव वाद भूमि की आय से वादीया अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है किन्तु वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम से दर्ज नही है जिससे वादीया के हकों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि में वादीया के पिता सिकन्दर पुत्र बरयामसिह ने देहान्त होने से पूर्व अन्य चकों एवं परिवार की पैतृक आय से वाद भूमि अपने पत्नी व वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाई गई थी जो परिवार की सयुक्त आय से अर्जित भूमि होने के कारण वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वाद भूमि वादीया को उसकी शादी के समय परिवारिक समझौता के अनुसार

Scanned with CamScanner

वादीया को उसके भरण पोषण हेतु दी गई थी जो वादीया के कब्जा काश्त में है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 19 जेएसएन के खाता संख्या 52 की कुल 2.5300हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 51 की कुल 5.4890हैक भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है वह वादीया के पिता सिकन्दर पुत्र बरयामसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से दर्ज हुई है जो वर्तमान में वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसमें वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बहिब का हक हिस्सा है।

वाद भूमि जो वर्तमान में वादीया की माता के नाम से दर्ज है वादीया की शादी के समय प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने परिवारिक समझौता के अनुसार वादीया को भरण पोषण के लिये दी गई थी जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव वाद भूमि की आय से वादीया अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है किन्तु वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम से दर्ज नही है जिससे वादीया के हकों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 19 जेएसएन के खाता संख्या 52 की कुल 2.5300हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 51 की कुल 5.4890हैक भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसकी माता प्रतिवादीयां संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह वादीया के पिता सिकन्दर पुत्र बरयाम सिह ने कृषि भूमि एव सयुक्त परिवार की आय से वादीया के नाम दर्ज करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा हे अर्थात वाद भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

Scanned with CamScanner

वादीया का कथन है कि वादीया की शादी के समय परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि वादीया को भरण पोषण के लिये दी गई थी जो वादीया के कब्जा काश्त में है वादीया के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीया को परिवारिक समझौता के अनुसार वादीया का दी गई थी अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ हे इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 जेएसएन के खाता संख्या 52 की कुल 2.5300हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 51 की कुल 5.4890हैक भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बन्तो बाई पुत्री सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1 प्यारो देवी पत्नी सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. कर्मजीतकोर पुत्री सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. गुरूतेज पुत्र सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. गोराराम पुत्र सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. सीमाबाई पुत्री सिकन्दर जाति बाजीगर निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 189 सन 2022 निर्णय दिनांक– 12/4/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 जेएसएन के खाता संख्या 52 की कुल 2.5300हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 51 की कुल 5.4890हैक भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner